


30-10-19 वकील खात्री उपस्थित राज पैरीकार  
उपस्थित अभ्युक्त की वदस सुनी  
गई वदस पर मनन किया गया। पत्रावली  
का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन  
बाद वादी रवारीत किया जाकर विस्तृत  
निर्णय प्रत्येक से लिखाया जाकर बुले  
न्यायालय में सुनाये जावे के उपरान्त  
शाफिल पत्रावली किया गया। पत्रावली  
जबबर से काफ की जाकर वाद तकमील  
दाखिला दफतर ध।



सत्यमेव जयते

  
(कपील यादव)  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

(राजस्व वाद संख्या :- 318/2016 अनवान रामकरण बनाम उपवनसंरक्षक हनुमानगढ़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 318/2016

- 1 रामकरण पुत्र राजूराम जाति कुम्हार निवासी 32 एल.एल.डब्ल्यू., तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजरथान)। -- वादी

--: बनाम :-

- 1 उपवन संरक्षक, वन विभाग, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)। -- प्रतिवादीगण  
2 स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़।

दावा अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.ए. बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

--: उपस्थित अभिभाषकगण :-

1. श्री राजेन्द्र भूवांल अधिवक्ता वादी  
2. राज पैराकार प्रतिवादी संख्या 2

--: निर्णय :-

दिनांक :- 30.10.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि चक 29 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 72/60 पत्थर नम्बर 40/226 (73) किला नम्बर 3, 4, 7, ता 9, 11 ता 14, 18 ता 23 तादादी 3.795 हैक्टर व पत्थर नम्बर 40/227 (80) किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 18, 23 तादादी 1.379 हैक्टर कुल तादादी 5.174 हैक्टर नहरी दर्ज राजस्व अभिलेख प्रमाणित प्रतिलिनि जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वादी की कृषि भूमि चक 29 एल.एल.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 40/227 (80) किला नम्बर 23/.114 नहरी दर्ज रिकार्ड व खातेदारी है। इस किला के शेष रकबा में एल.एल.डब्ल्यू. नहर है। यह नहर पूर्व में कच्ची थी, जिसे बाद में पक्का निर्मित किया गया है।

इस नहर की बुर्जी संख्या 106 के उत्तर की तरफ की साईड में प्रतिवादी संख्या 1 द्वार वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है इस सम्बंध में वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के अधिनस्थ कर्मचारीगण को कहा कि वे वादी की कृषि भूमि जिसका विवरण उपरोक्त चरण में दिया गया है के किला नम्बर 23 में उसकी खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का वृक्षारोपण नहीं करें व पैमाईश करके नहर की सीमा में ही वृक्षारोपण करें लेकिन उन्होंने वादी की वाद मानने से इन्कार कर दिया व वादी को स्पष्ट धमकी दी कि इसी तरह से वृक्षारोपण करेंगे। वादी की कृषि भूमि में वृक्षारोपण हो जाने से वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी को अपनी कृषि भूमि का शान्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान कारित करने की अधिकारिता प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त नहीं है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 के इस अनुचित व अवैधानिक कृत्य के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी ने दिनांक 25.07.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि वे वादी की खातेदारी कृषि भूमि जो वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित है, में किसी प्रकार से वृक्षारोपण नहीं करें तथा पैमाईश करवाकर ही वृक्षारोपण करें लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया यही वाद कारण है।

लगातार ..... 2

वादी ने अपना वाद पत्र राजस्थान राज्य के प्रतिनिधियों के विरुद्ध प्रस्तुत किया है प्रतिवादीगण द्वारा वादी की कृषि भूमि में अनुचित रूप से वृक्षारोपण कर उसे अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग व उपभोग करने में बाधा कारित की जा रही है। व प्रतिवादीगण अविलम्ब ही वादी की कृषि भूमि में वृक्षारोपण करने की फिराक में है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. के अन्तर्गत नोटिस मियादी दो माह में अनिवार्य है। वादी द्वारा नोटिस की प्रक्रिया अपनाकर वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादीगण वादी की कृषि भूमि में पौधारोपण कर देगे। इसी स्थिति में वादी का वाद पत्र ही निष्फल हो जायेगा। इन परिस्थितियों में वादी यह वाद पत्र नोटिस की प्रक्रिया अपनाये बिना प्रस्तुत कर रहा है। मामला आकस्मिक प्रकृति का है तथा न्यायहित में वादी को धारा 80 सी.पी.सी. के अन्तर्गम दो माह के नोटिस की अनिवार्यता से उन्मुक्ति प्रदान किया जाना आवश्यक है। नोटिस की अनिवार्यता से उन्मुक्ति प्रदान किये जाने हेतु पृथक से प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी. पी.सी. प्रस्तुत है। जिसके तहत वादी अनुमति प्राप्त करने का अधिकारी है।

विवादग्रस्त आराजी तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है, इस कारण वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद-पत्र वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :-

- (क) स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वह वादी की कृषि भूमि चक 29 एल.एल.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 40/227 (80) किला नम्बर 23/.114, हैक्टर में किसी प्रकार का वृक्षारोपण नहीं करें तथा वादी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।
- (ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।
- (ग) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायोचित हो, वादी के पक्ष में जारी फरमाया जावें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी द्वारा दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट उत्तमसिंह वाला में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि की पैमाईश कर प्रार्थी को अनुतोष की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए प्रार्थी निवेदन करता है कि इस संबंध में तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित फरमाया जावें कि वे वादी की कृषि भूमि की पैमाईश कर इस संबंध में उचित निशानदेही देवे जिससे कि मामला का निस्तारण हो सके।

प्रकरण के सन्दर्भ में राज पैरोकार द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं करते हुए कथन किया गया कि वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के सन्दर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के सम्बंध में पैमाईश बाबत कभी किसी प्रकार का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादी की भूमि की पैमाईश हो सके। वादी अपनी खातेदारी भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई अनुतोष चाहता है, तो वह नियमानुसार सक्षम अधिकारी के पास अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवा कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः वाद वादी पैमाईश हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के अभाव में वर्तमान स्तर पर खारिज फरमाया जावे।



सहायक कलेक्टर  
एवं उपखंडाधिकारी  
हनुमानगढ़

वादी के अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा मेरी खातेदारी भूमि में वृक्षारोपण किया जा रहा है। चूंकि मेरी खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से कोई हक अधिकार नहीं है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादाधीन खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित करें ताकि वादी के अधिकार सुरक्षित रह सकें।

-:: आदेश ::-

हमने समायत बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र के साथ अपनी खातेदारी भूमि की करवाई गई पैमाईश बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे कार्य की भूमि में वादी का स्वामित्व (Title) सिद्ध हो सके। अतः वाद वादी स्वामित्व (Title) के अभाव में वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाकर वादी को आदेशित किया जाता है, कि वे समक्ष अधिकारी के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व (Title) के सम्बंध में वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 30-10-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कपिल यादव)

उपवनसंक्षक अधिकारी एवम्  
पदेन उपवासी अधिकारी  
हनुमानगढ

Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ला दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 318/2016

1 रामकरण पुत्र राजूराम जाति कुम्हार निवासी 32 एल.एल.डब्ल्यू, तहसील व जिला हनुमानगढ (राजस्थान)। -- वादी

--:: बनाम ::--

1 उपवन संरक्षक, वन विभाग, हनुमानगढ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ (हनुमानगढ)। -- प्रतिवादीगण  
2 स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ।

दावा अन्तर्गत धारा :- 188, आर.टी.ए. बाबत स्थाई निषेधाज्ञा  
निर्णय दिनांक :- 30.10.2019

वादी की और से श्री राजैन्द्र भूवांल अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 की और से राज पैराकार इस वाद में आज दिनांक 30.10.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र के साथ अपनी खातेदारी भूमि की करवाई गई पैमाईश बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे कार्य की भूमि में वादी का स्वामित्व (Title) सिद्ध हो सके। अतः वाद वादी स्वामित्व (Title) के अभाव में वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाकर वादी को आदेशित किया जाता है, कि वे समक्ष अधिकारी के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व (Title) के सम्बंध में वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30/10/2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।  
मुहर



(कपिल यादव)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन उपखण्ड अधिकारी कलक्टर  
हनुमानगढ

--:: वाद के खर्चे ::--

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--

Scanned by CamScanner

